| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 28/6/19 | पत्रावली पेश हुई।<br>वादी अधिवक्ता उप0। प्रतिवादी पैरोकार उप0।<br>उभय पक्ष को सुना।<br>वादी ने इस आशय का वाद प्रस्तुत किया है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 की संयुक्त खातेदारी की भूमि खेत खसरा नम्बर 1434 रकबा 84.12 बीघा मौजा पाबुपुरा, पटवार मण्डल कोटडा, तह0 शिव मे अवस्थित है। वादग्रस्त भूमि वादी को अपने पिता के फौत होने पर विरासत मे प्राप्त हुई है। राजस्व रेकर्ड मे फौतगी नामान्तकरण की कार्यवाई करते समय वादी की उम्र कम होने के कारण उसके रिश्तेदारों द्वारा भूलवंश वादी का घरेलू नाम टिलसिंह पुत्र केशरसिंह अंकित करवा दिया गया, जबकि वादी का सही नाम बस्तसिंह पुत्र केसरसिंह है। वादी के अन्य सभी आवश्यक सरकारी दस्तावेजो मे भी वादी का नाम बस्तसिंह पुत्र केसरसिंह दर्ज है। अतः वादी ने वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में अपने नाम के शुद्विकरण हेतु वाद प्रस्तुत किया है।<br>वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी पैरोकार को सम्मन जारी किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार शिव ने अपने जबाव मे वादी के नाम को दुरूस्त किये जाने मे अपनी अनापति जाहिर की है। हल्का पटवारी एवं हल्का भू7 अभिलेख निरीक्षक ने भी अपनी जांच में वादी का नाम टीलसिंह पुत्र केशरसिंह के स्थान पर बस्तसिंह पुत्र केसरसिंह दुरस्त किये जाने की अनुशंषा की है। वादी ने अपने वाद के समर्थन में दस्तावेजात नकल वर्तमान जमांबंदी, फौतेदगी नामान्तरकण, वादी की अन्य खातेदारी का खेत की वर्तमान जमाबंदी जिसमें वादी का नाम सही दर्ज है, आधार कार्ड, पेन कार्ड, भामाशह कार्ड, परिवार राशन कार्ड व अन्य दस्तावेजात प्रस्तुत किये।<br>हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो व मौखिक अभिकथनों तथा प्रतिवादी के जवाब व जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया। जिसमें वादी का नाम बस्तसिंह पुत्र केसरसिंह ही है।<br>लिहाजा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर खेत खसरा नम्बर 1434 रकबा 84.12 बीघा मौजा पाबुपुरा, पटवार मण्डल कोटडा, तह0 शिव की भूमि के राजस्व रेकर्ड मे अन्य सभी प्रविष्टियां यथावत रखते हुए वादी का नाम टीलसिंह पुत्र केशरसिंह के स्थान पर बस्तसिह पुत्र केसरसिंह होना घोषित किया जाता है। तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमलदरामद सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।<br>पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।<br>निर्णय आज दिनांक 28.06.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।<br>[signature]<br>सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)<br>शिव, जिला–बाड़मेर | |

Scanned by CamScanner

# अन्तिम डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

**(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता)**

(Civil Procedure Code, Applendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) शिव
पीठासीन अधिकारीं श्री प्रताप सिंह आई.ए.एस.

वादी :– बस्तसिंह पुत्र केसरसिंह, जाति– राजपुत, नि0 आगेरिया तह0 शिव

बनाम

प्रतिवादी :– 1. गोरधनसिंह पुत्र केसरसिंह, जाति– राजपुत, नि0 आगोरिया तह0 शिव
2. राज0 राज्य जरिए तहसीलदार शिव।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– 1. श्री नरेन्द्रसिंह सियाग एडवोकेट– वादी।
2. प्रतिवादी संख्या 02 पैराकार उप0।

अन्तिम डिक्री

वादी एवं प्रतिवादीगण को आज दिनांक 28.06.2019 को सहायक कलक्टर शिव के समक्ष अन्तिम रूप से निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:–

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर खेत खसरा नम्बर 1434 रकबा 84.12 बीघा मौजा पाबुपुरा, पटवार मण्डल कोटडा, तह0 शिव की भूमि के राजस्व रेकर्ड मे अन्य सभी प्रविष्टियां यथावत रखते हुए वादी का नाम टीलसिंह पुत्र केशरसिंह के स्थान पर बस्तसिह पुत्र केसरसिंह होना घोषित किया जाता है। तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमलदरामद सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज तारीख 28.06.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

(प्रताप सिंह)
सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pratap Singh
Date: 2020.01.15 12:19:57 IST
Reason: SelfAttested
Location: